HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12822/2025
CNR: RJHC020859552025 | URN: CRLMB / 24807U / 2025

Sandeep Bhatiya S/o Shri Rajkumar, Aged About 43 Years, R/o Plot No. 32/115, Sector No. 3, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur (Raj.)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pawan Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Pukhraj, IO and S.I. Police Station Pratap Nagar, Jaipur, Present in person.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना–**प्रताप नगर, जयपुर शहर (पूर्व)** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**115/2023** अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा मात्र विक्रयपत्र में गवाही के रूप में हस्ताक्षर किये हैं जो सद्भाविक हैं, उसे कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं हुई है, घटना वर्ष 2023 की बतायी गयी है, अभियुक्त से अभिरक्षात्मक अनुसंधान नहीं होना है, अकारण अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन

होगा, अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

अनुसंधान अधिकारी श्री पुखराज, एस.आई. पुलिस थाना–प्रतापनगर, जयपुर द्वारा उपस्थित होकर केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की।

विद्वान लोक अभियोजक ने अभियुक्त से अभिरक्षात्मक अनुसंधान होने तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत खारिज किये गये जमानत आदेश का अवलोकन किया।

हस्तगत मामले में परिवादी वेदप्रकाश द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज करायी है कि अभियुक्त संदीप भाटिया प्रोपर्टी दलाली का कार्य करता है तथा परिवादी की रियल एस्टेट कम्पनी है, अभियुक्त ने वर्ष 2022 में परिवादी के कार्यालय में आकर बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के दो प्लॉट तथा मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के एक प्लॉट का आवंटन पत्र, साईट प्लान आदि लेकर यह विश्वास दिलाया कि सभी दस्तावेज सद्भाविक है तथा अभियुक्त ने उक्त सोसाईटी की एक वेरीफिकेशन रिपोर्ट लाकर दी और उसके आधार पर वास्तविक भूखण्ड मालिक के बजाय अन्य व्यक्तियों के माध्यम से उक्त तीनों भूखण्डों की रजिस्ट्री परिवादी पक्ष के हक में कराकर धोखाधड़ी की।

अभियुक्त विक्रयपत्र में मात्र गवाह हो, ऐसी स्थिति नहीं है अपितु उसके द्वारा ही कूटरचित दस्तावेज और वेरीफिकेशन रिपोर्ट आदि की प्रतियां परिवादी के कार्यालय में लाकर सौदा करने हेतु उत्प्रेरित किया। अभियुक्त की ही इस अपराध में मुख्य भूमिका होना बताया गया है, अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान प्रकरण सहित कुल छः आपराधिक प्रकरण पूर्व में संस्थित हैं, अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड भी सुसंगत है। दस्तावेजों की कूटरचना आदि के संबंध में भी गहन अनुसंधान किया जाना शेष है, आरोपित अपराध में आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता तथा उससे अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

81/Mittal